



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 ज्येष्ठ 1942 (श0)

(सं० पटना 320) पटना, बुधवार, 27 मई 2020

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

16 मार्च 2020

सं० 4/स्वा0नि0-15-03/2013-324(4)—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल “बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2014” का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।— (1) यह नियमावली “बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2020” कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।

2. **बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-2 (iii) का प्रतिस्थापन**।—उप नियमावली, 2014 के नियम 2 (iii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।—

“(iii) “आयोग” से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग”

3. **बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन**।—उक्त नियमावली के नियम-6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“6. अर्हताएँ ।—(1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडियेट/+2 (भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) उत्तीर्णता के बाद संघ एवं अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा तथा स्वच्छता निरीक्षक के कोर्स में ही उच्चतर शिक्षा (बी0एस0सी0/एम0एस0सी0) के प्रमाण पत्र मान्य होंगे ।

(2) स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाए। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त उम्र के अवधारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।”

4. **बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 7 का प्रतिस्थापन**।— उक्त नियमावली के नियम-7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।:-

“7. **भर्ती की प्रक्रिया** ।—(1) नियुक्ति प्राधिककार वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना विभाग को 30 अप्रैल तक भेजेगा और विभाग द्वारा समेकित अधियाचना आयोग को 15 मई तक भेजी जायेगी ।

(2) चयन हेतु निम्नलिखित के अनुसार 100(एक सौ) पूर्णांक होगा—

(क) इन्टरमीडियेट / +2 में प्राप्तांक के लिए—	30 अंक	
(ख) स्वच्छता निरीक्षक के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए—	25 अंक	
(ग) स्वच्छता निरीक्षक के कोर्स में उच्चतर शिक्षा (बी0एस—सी0 / एम0एस—सी) के लिए—	20 अंक	(बी0एस0सी0—10 अंक तथा एम0एस0सी0—10)
(घ) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव के लिए प्राचार्य / अधीक्षक / निदेशक / सिविल सर्जन से प्रतिहस्ताक्षरीत अनुभव प्रमाण पत्र (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)—	25 अंक	
	कुल	100 अंक

टिप्पणी:— इन्टरमीडियेट / +2, एवं स्वच्छता निरीक्षक के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जानेवाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को क्रमशः 0.3 या 0.25 के गुणक से गुणा कर करना होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50 \times 0.3 = 15$ या $50 \times 0.25 = 12.5$ अंक दिये जायेंगे।

(3) आयोग उपनियम(2) के आधार पर तैयार मेधासूची एवं अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को भेजेगा। विभाग अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच किये जाने के पश्चात् उनका संवर्ग आवंटन करेगा। तत्पश्चात् संबंधित नियुक्ति प्राधिकार स्वास्थ्य जाँच, पूर्ववृत्त सत्यापन आदि कराते हुए सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा।

(4) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

5. **बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम 13 का प्रतिस्थापन।—**उक्त नियमावली के नियम 13 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

“13. प्रोन्नति के सौपान।—(1) सेवा में सम्पुष्ट स्वच्छता निरीक्षक को, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए एवं वरीयता-सह-योग्यता के अनुसार परिशिष्ट-1 में उल्लेखित उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति पर विचारार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत, कालावधि संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा। प्रोन्नति के संदर्भ में चारित्री या पी0ए0आर0, मुहरबन्द लिफाफा के अनुशंसा रखे जाने आदि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन, प्रोन्नति पर विचार करते समय आवश्यक होगा।”

6. **बिहार स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2014 के परिशिष्ट-1 का प्रतिस्थापन।—**उक्त नियमावली के परिशिष्ट-1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

“परिशिष्ट-1

{नियम-2 (vi), 4, 13, 16, 17 द्रष्टव्य}
स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग का सौपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1.	मूल कोटि	स्वच्छता निरीक्षक	
2.	प्रथम सौपान	स्वच्छता पर्यवेक्षक	

नोट :— उपर्युक्त सभी कोटियों का स्वीकृत बल तथा वेतनमान / वेतन स्तर वहीं होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

“परिशिष्ट-2

क्रमांक	कोटि	पदनाम	कर्तव्य एवं दायित्व
1.	मूल कोटि	स्वच्छता निरीक्षक	- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्रान्तर्गत खाद्य सामग्री की स्वच्छता का निरीक्षण करना एवं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। - जलश्रोत का शुद्धिकरण (कूप का विशुद्धिकरण तथा चापाकल के इर्द-गिर्द सफाई की व्यवस्था करना। - डायरिया / महामारी की रोकथाम संबंधित कार्यों का अनुश्रवण करना। - क्षेत्र के नाली / सार्वजनिक स्थल की साफ-सफाई हेतु कार्य

			करना। 5. फूटपाथी दूकान/होटल/सैलून का नियमित निरीक्षण तथा खाद्य संरक्षण अधिनियम के अनुकूल मानक बनाए रखना।
2.	प्रथम सोपान	स्वच्छता पर्यवेक्षक	1. खाद्य संरक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन करना। 2. जिला स्तर पर महामारी नियंत्रण हेतु कार्य योजना बनाना एवं उसे कार्यान्वित करना तथा इसके लिए सभी प्रतिवेदनों को समेकित कर क्षेत्रीय मुख्यालय को प्रेषित करना एवं प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में स्वच्छता निरीक्षक को दिशा निर्देश देना 3. स्वच्छता निरीक्षक के कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह० अस्पष्ट,

सरकार के अपर सचिव।

16 मार्च 2020

सं० 4/स्वा०नि०-15-03/2013-325(4) अधिसूचना सं० 324 दिनांक 16 मार्च 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद-348 क खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह० अस्पष्ट,

सरकार के अपर सचिव।

The 16th March 2020

No. 4/ स्वा०नि०-15-03-09-2013-324(4) --In exercise of powers conferred by provisio to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is Pleased to make following Rules to amend the "Bihar Sanitary Inspector Cadre Rules, 2014":-

1. **Shorttitle, extent and commencement.**-(1) These Rules may be called the "Bihar Sanitary Inspector Cadre (Amendment) Rules, 2020."

(2) It shall extend to the whole state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Substitution of rule-2 (iii) of the "Bihar Sanitary Inspector Cadre Rules, 2014.**- **Rule 2 (iii)** of the said Rules shall be substituted by the following:-

"(iii) 'Commission' means the Bihar Technical Service Commission;"

3. **Substitution of rule-6 of the Bihar Sanitary Inspector Cadre Rules, 2014.**- **Rule -6** of the said Rules shall be substituted by the following:-

"6 Qualification:- (1) For direct recruitment to the basic category posts, minimum educational qualification shall be pass in Intermediate/+2(Physics, Chemistry, Biology with English) pass. In addition to this, it shall be necessary to have passed Sanitary Inspector Diploma Course/Bachelor in Sanitary Inspector from Union of India and other States Government recognized Institution and it shall be necessary to have a Certificate related thereto.

(2) For the direct recruitment in Sanitary Inspector Cadre, minimum age-limit shall be 18 years and maximum age limit shall be such as may be determined reservation categorywise, from time to time, by the Government. 1st August of the concerned year shall be deemed to be cut off date for determination of age."

4. **Substitution of Rule-7 of the Bihar Sanitary Inspector Cadre Rule-2014.** Rule-7 of the said Rules shall be substituted by the following:-

7 Procedure of recruitment.-(1) The appointing authority, after calculating vacancies on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send reservation categorywise requisition to the Department latest by 30th April and the

consolidated requisition shall be sent to the Commission by the Department latest by 15th May.

(2) For the selection, full marks will be 100 (one hundred) as follows:-

(a) For the marks obtained in

Intermediate/+2 - 30 Marks

(b) For marks obtained in Diploma in Sanitary Inspector

Course examination - 25 Marks

(c) For higher degree in course of

Sanitary Inspector (B.Sc/M.Sc) - 20 Marks
(B.Sc.-10 marks
and M.Sc.- 10 marks)

(d) For Work experience in Government Hospitals-

(5 marks per year, Maximum 25 Marks) - 25 Marks

Note: The marks to be given to a candidate for marks obtained in Intermediate/+2 and Diploma Course in Sanitary Inspector examinations shall be determined by multiplying percentage of total marks obtained in the examinations of said courses by a multiple of 0.3 or 0.25 respectively. For example, if a candidate has obtained 50% marks, he will be given $50 \times 0.3 = 15$ or $50 \times 0.25 = 12.5$ marks.

(3) The Commission shall send recommendation to the Department according to the merit list prepared on the basis of sub-rule (2) as well as requisitioned vacancies. After scrutiny of certificates of the recommended candidates the Department shall allot their cadre. Thereafter, the Appointing Authority concerned shall make appointments after causing medical check-up, verification of antecedents, etc by complying the guidelines issued by the Government (General Administration Department), from time to time.

(4) After recommendation of the Commission, compliance of instructions issued by the Government (General Administration Department), from time to time, with respect to procedure of appointment, shall be necessary."

5. Substitution of rule-13 of the Bihar Sanitary Inspector Cadre Rule 2014 .- Rule 13 of the said Rules shall be substituted by the following:-

"13. Chain of Promotion.-(1) Subject to availability of vacancies, confirmed Lab Technicians may be considered for promotion, according to seniority-cum-merit, to the higher posts mentioned in the Appendix-1.

(2) For consideration of promotion, compliance of instructions regarding KALAWADHI issued by the General Administration Department, from time to time, shall be necessary. Compliance of instructions issued by the General Administration Department regarding Character Roll or PAR, maintenance of recommendation in the sealed cover, etc in the context of promotion, shall be necessary at the time of consideration of promotion."

6. Substitution of Appendix-1 of the Bihar Sanitary Inspector Cadre Rules, 2014.-

The Appendix-1 of the said Rules shall be substituted by the following:-

"APPENDIX-1

[See Rule 2 (vi), 4, 13, 16, 17]

Chain of Posts of Bihar Sanitary Inspector Cadre

Sl. No.	Category	Name of Posts	Remarks
1.	Basic category	Sanitary Inspector	
2.	First ladder	Sanitary Supervisor	

Note-The sanctioned strength and pay-scale/pay level of all aforesaid grades will be such as may be determined by the Government, from time to time."

"APPENDIX-2

Sl. No.	Category	Name of Posts	Duties & Responsibilities
1.	Basic category	Sanitary Inspector	1. The Sanitary Inspector shall inspect of fooding material and aware the people regarding its hygiene. 2. The Sanitary Inspector shall help to purify water resources as purification of well, cleaning nearby hand pipe. 3. The Sanitary Inspector shall monitor to controlling programme of Diarrhea or epidemic programme. 4. The Sanitary Inspector shall work for cleaning public place. 5. To Inspect regularly to footpath shops/Hotels/Saloons and maintain the standard of food safety rules.
2.	First ladder	Sanitary Supervisor	1. In the absence of food Inspector he shall do his duties and responsibilites. 2. To prepare action plan at district level to control epidemic send it has been activated . 3. He has to send all the reports colleted from regional offices and to direct the Sanitary Inspector in aspect of recieved direction. 4. To evaluate and monitor of the works of Sanitary Inspector.

the order of the Governor of Bihar,
Sd. Illigible,
Additional Secretary of Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 320-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>